कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(बजट अनुभाग)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या : 72 / प्र0अ0 / सि0वि0 / बजट / बी 1 / आवंटन / जमा   दिनांक : 03 फरवरी, 2022

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या 2 15 / 151 / 1 / 2022 II 2 Irrigation and Minor Irrigation Department (Computer No 12992), दिनांक 02.02.2022 द्वारा पूंजीलेखा के अनुदान संख्या 20 राज्य सैक्टर जमरानी बांध परियोजना हेतु एन0पी0वी0 / भूमि अधिग्रहण (53 वृहद निर्माण) मद के अन्तर्गत जमरानी बॉध बहुद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न अध्ययन कार्यों, कन्सल्टेन्सी कार्यों एवं आवासीय अनावासीय भवनों एवं मोटर मार्गों के अनुरक्षण / मरम्मत कार्यों हेतु रू0 150.00 लाख (रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) का प्रमुख अभियन्ता के निवर्तन पर रखते हुए आवंटन किया गया है।

अतः उक्त आवंटित धनराशि ₹ 150.00 लाख का मुख्य अभियन्तावार / खण्डवार / मदवार निम्नानुसार आवंटन किया जाता है :-

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र. स.	मद का विस्तृत विवरण / कार्य का नाम / मुख्य अभियन्ता / खण्ड का नाम	आवंटित धनराशि
	मुख्य अभियन्ता **स्तर–2, हल्द्वानी**	
	जमरानी **बांध निर्माण खण्ड–2, हल्द्वानी** **(पी0आई0यू0 जमरानी बॉध के निवर्तन पर रखा जायेगा)**	
A	**जमरानी बॉध बहुद्देशीय परियोजना से सम्बन्धित एडीबी द्वारा किये गये प्रेक्षणों एवं विविध कार्यो के सापेक्ष प्राक्कलन।**	
अ	**जमरानी बांध परियोजना हेतु विभिन्न अध्ययनों के कार्य।**	10.00
ii	Wild life Research/Study & Monitoring (कैमरा ट्रैप स्टडी)।	11.60
iii	जमरानी परियोजना क्षेत्र का ड्रोन सर्वे ।	
ब	**जमरानी बांध परियोजना हेतु कन्सलटेंन्सी कार्य।**	11.67
i	हैडाखान मन्दिर पुनर्निर्माण हेतु कन्सलटेंसी	26.63
iii	जमरानी बांध परियोजना का टेन्डर स्टेज डिजाइन तथा ड्राइंग हेतु कन्सल्टैन्सी।	5.24
iv	Social Survey Report Compilation	4.58
v	जमरानी तथा तराई फीडर का वन प्रस्ताव हेतु सर्वे एवं डी0पी0आर0 गठन का कार्य।	10.64
vi	जमरानी बांध परियोजना की डी0पी0आर0 हेतु मैसर्स एस0वी0एस0 प्राईवेट लिमिटेड को भुगतान।	0.73
vii	पर्यावरण स्वीकृति हेतु मैसर्स वायन्ट्स सल्यूशन का भुगतान।	
स	**आवसीय / अनावासीय भवनों एवं मोटर मार्ग के अनुरक्षण / मरम्मत का कार्य।**	10.00
i	Maintenance and Repair (Roof and Interior) of Residential Building at GolaSinchai Colony, Damuadhunga, Dist- Nainital	12.07
ii	Maintenance and Repairing office J.D.C.D-II Haldwani	5.69
iii	गौला सिंचाई कालौनी परिसर में फील्ड हॉस्टल के पुनरोद्धार का कार्य।	
iv	बॉध स्थल के पैदल मार्गो एवं पंहुच मार्ग का निर्माण एवं बॉध स्थल तथा ड्रिफ्टों के आस–पास के	11.71
	जंगल की सफाई का कार्य।	20.00
v	अमृतपुर जमरानी मोटर मार्ग में अनुरक्षण का कार्य।	7.15
vi	जमरानी बांध निर्माण खण्ड–2 के अन्तर्गत विभिन्न गोदामो में लेबर की व्यवस्था।	2.29
	Contingency @ 3% on S.I. Item **कुल योग**	**150.00**

(₹ एक करोड़ पचास लाख मात्र)

------2

उपरोक्त आवंटित बजट का उपयोग शासनादेश संख्या 2-15/151/1/2022 II-2-
Irrigation and Minor Irrigation Department (Computer No. 12992), दिनांक 02.02.2022 में उल्लिखित
निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किया जायेगा। के कार्यों में गुणवत्ता

1. कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय, अनुरक्षण एवं पुनर्निर्माण
   नियंत्रण का विशेष ध्यान रखा जाय ।
2. सामग्री एवं उपकरण क्रय हेतु ई-प्रोक्योरमेण्ट एवं जैम पोर्टल/पारदर्शी एवं खुली निविदा के माध्यम से वित्तीय नियमों के अनुसार अधिप्राप्ति नियमावली-2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
3. योजना कार्यों पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है । स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।
4. निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, स्टोन, पाइप, सीमेण्ट एवं अन्य का I.S. Code के मानकों के अनुरूप N.A.B.L. Laboratory से परीक्षण कराते हुये मानक विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्ता आवश्यक सुनिश्चित की जाय ।
5. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य के समस्त Design and Drawing सक्षम स्तर से अनुमोदित कराया जाय ।
6. आगणन सिविल निर्माण कार्य हेतु एस0ओ0आर0 की दरें ली गई हैं एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टियां भी उल्लिखित है। विशिष्टियों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृतत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी । अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें है।
7. मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासमभव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतो से भी इस कार्यालय/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अवगत करायेंगे ।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2022 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा ।

(मुकेश मोहन)
प्रमुख अभियन्ता

पत्रांकः 72/प्र0अ0/बजट/बी-1/तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. सचिव, (सिंचाई) उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3. वित्त नियन्त्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून इस आशय से प्रेषित है कि उक्त धनराशि की साख सीमा अपने स्तर से निर्गत करने का कष्ट करें तथा साख सीमा की प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. मुख्य अभियन्ता स्तर-II, हल्द्वानी, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।
5. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड ।

3.2.22

(डी0एस0 कछवाहा)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (बजट)
कृते प्रमुख अभियन्ता